स्पीड पोस्ट

भारत सरकार/ Government of India
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय/ Ministry of Labour & Employment
खान सुरक्षा महानिदेशालय/ Directorate General of Mines Safety
मध्य जोन, विद्युत अनुभाग / Central Zone, Electrical Section
धनबाद, झारखंड–826001 / Dhanbad, Jharkhand-826001

सं. निदेशक(वि0)म0जो0/RTI/45/2026-27/815 धनबाद, दिनांक 28/09/2026

प्रेषक
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
खान सुरक्षा निदेशक (वि0),
मध्य जोन, धनबाद

सेवा में,
श्री विजय कुमार झा, पता– हाउस नं0–68, बोस कॉलनी,
रानी बाजार, कतरास, जिला – धनबाद,
झारखण्ड, पिन–828113, मोबाईल नं0 9572499669

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम **2005** के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

कृपया खान सुरक्षा निदेशक, क्षेत्र संख्या 2 मध्य अंचल, धनबाद को अग्रेसित आपके Offline RTI आवेदन पत्र संख्या शून्य दिनांकः 31.08.2026 को प्रासंगिक करें। इस संदर्भ में आपके द्वारा क्षेत्र संख्या 2 के अधिकार क्षेत्र से संबंधित मांगी गई सूचना की जानकारी सम्बंधित अधिकारी खान सुरक्षा निदेशक, क्षेत्र संख्या 2, मध्य जोन, धनबाद के पत्र संख्या क्षे0सं0–2/आरटीआई/36/2026/867 दिनांक 25.09.2026 से प्राप्त कर आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि संलग्न है।

यदि आप उक्त उपलब्ध कराये गये सूचना से असंतुष्ट हैं, वैसी स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के भाग 19 के तहत इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आप नीचे दर्शाये गये पते पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं।

श्री पी0 के0 सिंह
प्रथम अपीलीय पदाधिकारी एवं
खान सुरक्षा उपमहानिदेशक (यांत्रिक),
खान सुरक्षा महानिदेशालय,
हीरापुर, धनबाद–826001.
ई मेल– pksingh@dgms.gov.in

भवदीय,
28/09/2026
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
खान सुरक्षा निदेशक (वि0),
मध्य जोन, धनबाद

संलग्नकः यथोक्त।

हाथो हाथ

विकसित भारत अभियान

भारत सरकार/Government of India
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय/Ministry of Labour& Employment
खान सुरक्षा महानिदेशालय/Directorate General of Mines Safety
क्षेत्र स.2, मध्य अंचल,धनबाद/Region No.2, Central Zone, Dhanbad

संख्या: क्षे0 स0-2/RTI / 36 /2026 / 867 धनबाद, दिनांक 25 .09. 2026

प्रेषक

खान सुरक्षा निदेशक,
क्षेत्र स0-2, मध्य अंचल, धनबाद।

सेवा मे,
केन्द्रीय सुचना अधिकारी एवं
खान सुरक्षा निदेशक (विद्युत), मध्य अंचल, धनबाद।

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री विजय कुमार झा, रानी बाचार, कतरास, जिला- धनबाद, झारखण्ड, पिन 828113 मोबाईल न0 9572499669 द्वारा किये गये मॉगी गई जानकारी के संबंध मै।

महोदय,
उपरोक्त विषय के संबध मे आप अपने पत्र सं0-निदेशक (वि0)म0जो0/RTI /45 /2026-27 / 170 दिनांक 08-09-2026 को प्रासंगिक करें। इस संबध में अंतर्गत श्री विजय कुमार झा, रानी बाचार, कतरास, जिला- धनबाद, झारखण्ड, पिन 828113 मोबाईल न0 9572499669 द्वारा मॉगी गई सूचना का विवरण निम्नलिखित है ।

क्रम सं	मांगी गई जानकारी	उपलब्ध कराई गई जानकारी
1 अप्रैल 2010 से 25 अगस्त 2026 तक आपके अधिकार क्षेत्र खादानों को असुरक्षित एवं सुरक्षित किये जाने के संबध मे मुझे निमलिखित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें		
1	आपके अधिकार क्षेत्र में इस अवधि के दौरान कितनी खदानों/खान क्षेत्रों को असुरक्षित घोषित किया गया, उनकी खदानवार सूची, असुरक्षित घोषित करने की तिथि एवं संबधित खदान प्रबंधन/परियोजना का नाम उपलब्ध कराया जाए।	। मांगी गई जानकारी इस कार्यालय मे उपलब्ध नहीं है।
2	पत्येक खदान को असुरक्षित घोषित करने के कारणों का अभिलेखवार विवरण तथा जिस अधिनियम, नियम, विनियम अथवा वैधानिक प्रावधान के तहत असुरक्षित घोषित किया गया, उसकी संबंधित धारा/नियम संख्या उपलब्ध कराई जाए।	मांगी गई जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
3	असुरक्षित क्षेत्र को सुरक्षित एवं स्थिर बनाने के लिए संबंधित खदान प्रबंधन को दिए गए निर्देश, सुरक्षा उपाय एवं सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण तथा संबंधित पत्र/निर्देश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।	मांगी गई जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
4	उक्त मामलों में संबंधित खदान प्रबंधन/अन्य सक्षम अधिकारियों के साथ किए गए पत्राचार, निरीक्षण रिपोर्ट, उल्लंघन नोटिस, कारण बताओ नोटिस निर्देश एवं अनुपालन रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।	मांगी गई जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

5	जिन खदानों/क्षेत्रों को असुरक्षित घोषित किया गया था, उनमें से वर्तमान में कितनी खदाने/क्षेत्र सुरक्षित घोषित किए जा चुके हैं तथा कितने अभी भी असुरक्षित हैं, इसकी खदानवार स्थिति एवं उपलब्ध संबंधित आदेश/प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति प्रदान की जाए।	मांगी गई जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
6	यदि किसी खदान प्रबंधन द्वारा असुरक्षित घोषित किए जाने के बावजूद निर्धारित सुरक्षा उपायों का अनुपालन नहीं किया गया हो, तो ऐसे मामलों में की गई कार्रवाई, लगाए गए दंड/जुर्माना अथवा अन्य वैधानिक कार्रवाई का विवरण एवं संबंधित अभिलेखों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।	मांगी गई जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

आपके पास सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

भवदीय

25/09/2026

खान सुरक्षा निदेशक,
क्षेत्र सं0-2, मध्य अंचल, धनबाद।